कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र./जविप्रा/2020/भू-अर्जन/ 3302 जबलपुर, दिनांक 03/11/2020

धारा 50 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन नगर विकास स्कीम पर किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति बावद्

आम सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद् द्वारा घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के अधीन निम्नांकित नगर विकास स्कीम को अंतिम स्कीम के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा इन स्कीम पर तालिका में उल्लेखित अनुसार व्यय किया गया था। यदि समस्त भूमिस्वामी इन स्कीमों पर किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति करते हैं, तो स्कीम व्यपगत् हो जायेगी।

भूमिस्वामियों को अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रावधान के अधीन स्कीमों पर किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति सूचना जारी होने के दो माह के भीतर करनी होगी तथा तत्पश्चात् स्कीम व्यपगत् हो जायेगी।

स्कीम पर किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति का विवरण-पत्र

सरल क्रमांक	स्कीम का नाम	स्कीम संख्या	स्कीम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्कीम के अंतिम प्रकाशन की तिथि	अनुमानित लागत (अंतिम प्रशासकीय अनुमोदन के अनुसार) लाख रुपये में	स्कीम पर किये गये व्यय (लाख रूपये में)	प्रतिपूर्ति योग्य राशि (रुपये प्रति वर्गमीटर में)
1	रतन नगर/गुप्तेश्वर	2स	17.909	18.03.1983	795.54	7.88	4.25
2	रांझी	26	226.115	24.12.1982	10249.79	302.19	निरंक *
3	गढ़ा-परसवारा	31	220.074	20.09.1984	9979.00	144.75	9.98
4	डॉ. के.एल.जैन नगर	62	121.558	22.12.2006	9013.00	536.50	52.69
5	सुभाष बैनर्जी नगर	64	91.24	20.11.2009	7200.00	138.00	16.19
6	निर्मलचन्द्र जैन नगर	65	95.10	01.08.2008	7560.00	124.76	17.27

* प्रतिपूर्ति योग्य राशि की गणना योजना के कुल निजी क्षेत्र पर योजना में व्यय वसूलनीय राशि से की गई है।
* यो.क्र.-26 में व्यय 302.19 लाख के विरूद्ध प्राधिकरण को 342.15 लाख की राशि सम्पत्ति विक्रय से प्राप्त हो चुकी है, अतः प्रतिपूर्ति योग्य राशि निरंक है।

समस्त सम्बन्धित प्रलेख मय किये गये व्यय तथा प्रत्येक स्वामी द्वारा जमा की जाने वाली राशि के विवरण एवं अन्य जानकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय, 7अ, सिविक सेंटर जबलपुर के कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे, साथ ही जानकारी प्राधिकरण की वेबसाईट www.jdajabalpur.org पर उपलब्ध है। यदि कुल किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित समयसीमा के भीतर नहीं की जाती है तो स्कीम व्यपगत् नहीं हो पायेगी तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्व प्रकाशन अनुसार जारी रहेगी।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
जबलपुर विकास प्राधिकरण
जबलपुर